न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 28 / 2019 RCMS No.—2019/00124

1. शंकर लाल पुत्र श्री परताब
2. सूरज पुत्र श्री रामसहाय
3. नन्दा पुत्र श्री रामसहाय
4. बद्री पुत्र श्री रामसहाय
5. रामचन्द्र पुत्र श्री रामसहाय
6. कैलाश पुत्र श्री रामसहाय
7. मोहन पुत्र श्री कन्हैयालाल
8. राधामोहन पुत्र श्री महादेव
9. रामकिशोर पुत्र श्री महादेव
10. रोशन पुत्र बृजमोहन
11. अशोक पुत्र बृजमोहन
12. सुनील पुत्र बृजमोहन
13. कमलेश पुत्र बृजमोहन

...अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 15.02.1983 ग्राम तुंगा, पटवार हल्का तुंगा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं कर उनकी कन्वर्जनशुदा भूमि का नामान्तकरण सिवाय चक आबादी के नाम दर्ज करने के आदेश किये गये को दुरूस्ती करवाने के संबंध में।

———————

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश शर्मा एवं नितिन सुनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 18.12.2019

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 15.02.1983 जिससे नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी अपीलांट्स के नाम स्वीकार नहीं किया जाकर उनकी कन्वर्जनशुदा भूमि सिवाय चक आबादी के नाम दर्ज किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.07.2019 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अपीलांट्स अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 15.02.1983 नामान्तकरण संख्या 434 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 107 हाल खसरा नंबर 585, 585/2139 रकबा 2 बीधा 4 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण अपीलांट्स के नाम तस्दीक नहीं किया जाकर अपीलाधीन भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया। उक्त भूमि में अपीलांट संख्या 1 का हिस्सा 1, अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/4, अपीलांट संख्या 7 का हिस्सा 1/4 व अपीलांट संख्या 8 लगायत 13 का हिस्सा 1/4 है। अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार एवं अपीलांट्स के पूर्वज स्व. बृजमोहन द्वारा अपने स्वयं के खातेदारी की भूमि जिसमें से 1 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 3938.5 वर्गगज भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्जन करवाने के लिये एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिलाधीश जयपुर के समक्ष पेश किया जिस पर श्रीमान जिलाधीश जयपुर ने अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 107 में 3938.5 वर्गगज अर्थात 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि का कन्वर्जन का आदेश दिनांक 04.02.1983 क्रमांक संख्या राजस्व/18बी/20/82आर/2043 को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने के आदेश किये गये। श्रीमान जिलाधीश जयपुर के आदेश दिनांक 04.02.1983 की पालना में तहसीलदार महोदय बस्सी द्वारा नामान्तकरण संख्या 434 भरा गया जिसके कॉलम संख्या 7 में अपीलांट्स का नाम दर्ज है व कॉलम संख्या 9 में भी अपीलांट्स के नाम दर्ज है। परन्तु तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 15.02.1983 को उक्त नामान्तकरण अपीलांट्स के नाम दर्ज नहीं कर अपीलांट्स की स्वयं की कन्वर्जनशुदा भूमि सिवाय चक के नाम से दर्ज करने के आदेश फरमाये गये। रेस्पाडेन्ट तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन आदेश नियमो के प्रतिकूल, अवैध व मनमान होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश कानूनी रूप से विधिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया। उक्त आराजी भूमि अपीलाधीन नामान्तकरण से सिवाय चक में दर्ज हो जाने के कारण अपीलांट्स को काफी असुविधा एवं कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। अपीलांट्स वर्तमान में अपीलाधीन आराजी पर काबिज है। अपीलांट्स द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर लकडी की थडी रखने पर अन्य लोगो द्वारा विरोध किया गया एवं कहा गया कि यह भूमि सिवाय चक दर्ज हो गयी है। जिसके उपरान्त अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई एवं अपीलांट्स द्वारा अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की गयी। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 434 पर तहसीलदार बस्सी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.1983 निरस्त किया जाकर उसमें सिवाय चक के नाम से हटाकर अपीलांट्स के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर एवं तहसीलदार बस्सी के कन्वर्जन आदेश के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण श्रीमान जिलाधीश जयपुर के आदेश दिनांक 04.02.1983 के अपीलाधीन भूमि आवासीय रूपान्तरण की स्वीकृति दिये जाने के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर प्रस्तुत किया गया। भूमि रूपान्तरण आदेश अनुसार अपीलाधीन भूमि साबिक खसरा नंबर 107 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि की किस्म बा. आवासीय दर्ज की गयी एवं शेष बारानी दोयम दर्ज की गयी एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 7 व 9 में अपीलांट्स काश्तकार के रूप में अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा साबिक खसरा नंबर 107 में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि को शंकर वगैरह के बजाय सिवाय चक आबादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर नामान्तकरण स्वीकार किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार बस्सी के आदेश दिनांक 26.02.1983द्वारा अपीलाधीन भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण किये जाने की स्वीकृति दी गयी है जबकि उक्त भूमि को तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तकरण संख्या 434 पर पारित आदेश दिनांक 15.02.1983 द्वारा सिवाय चक आबादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जो विरोधाभासी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रूपान्तरण की गयी भूमि को सिवाय चक दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है एवं प्रकरण में अपीलांट्स को नोटिस दिया जाना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी द्वारा नामान्तकरण संख्या 434 वाके ग्राम तूंगा पर पारित निर्णय दिनांक 15.02.1983 को निरस्त करते हुये पत्रावली तहसीलदार, बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट्स की सुनवाई की जाकर, अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.01.08 12:37:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: